प्रपत्र–23

परियोजना का नाम— मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या—309 / 2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों / शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

नगर पंचायत का नाम – लालकुऑ, वार्ड– बंगाली कॉलोनी, वार्ड सं0–07 तहसील– लालकुऑ, जिला– नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण-प्रत्र

उत्तराखण्ड में जनपद— नैनीताल के अर्न्तगत लालकुओं में विकास केन्द्र के निर्माण हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.063 है0** वन भूमि का जिला सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला— नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0−07, नगर पंचायत लालकुऑ द्वारा दिनांक &.01.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा ⁄ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा ⁄ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुऑ के वासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एंव सही है।

वाई मैंम्बर

नगर पंचायत

अध्यक्ष जगर पंचायत लालकुआँ जिला-नैनीताल

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम— मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या—309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

नगर पंचायत लालकुऑ, बंगाली कॉलोनी, वार्ड सं0–07

a prime $a d c a r H H H H H H H H H H H H H H H H H H$			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	कमांक	बैठक में सभा में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वासियों के नाम	हस्ताक्षर
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2	1
B A cut File 1902 $n 02$ cut file A A algo atom $0 04$ were 1 S W 2011 20 atom $0 03$ yard 100 G W construction 2000 1000 1000 G W construction 2000 1	j		Herry
4 (1 2149 21011 30 0 4 3000, 5 (1) 2117 31 34 162114 30 03 4020, 6 (1) 2017 21 212 21011 30 03 404 40 40 7 (1) - i 21 212 21011 2105 - 1010 2100 2100 10 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	£		they
$\frac{1}{5} \qquad (1) \qquad (21) \qquad (3) \qquad$	B		EIJHTE
$ \begin{array}{c} S \\ (1) \\ (2) \\ $	4	504	Leepak,
$\frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & -i & cr \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2i & cr \\ 2i & cr $	S		Jogen,
$\frac{1}{8} = \frac{1}{8} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{2} \frac{1}{12} \frac{1}{$	6	-1	Atton
9 (1010) (121) $($		HI HEL XIOII	appell
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8-		Dauf
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9	FIGHT RATE TOOL STELLY CUIUI (NOSCION	133 Ame
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		AIRIDIO RIE 1904 HOJO ZIERME	Anelly
13- Эліншен тагиц 976/038888 Элінше 14- 21) $11179-q$ 21411 15- 2) $12-417$ $12-417$ 111747 16 21/1401 341211 391 311701 16 21/1401 341211 391 311701 17 21/1401 341211 391 311701 18 21) 12349 5103417 5103417 18 21) 12349 5103417 5103417 19. 20. 237 510611 2191 5108417 20. 237 510611 2197 31001 21011 510001 21. 21 31001 21001 21001 21001 21001 22. 20 21001 31001 31001 31001 31001 22. 20 21001 31001 31001 31001 31001	11-	STA RIE Gast	phar
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12-		Risigel
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13-		34Tonuto
16 $24114d$ $3414d$ $3414d$ $3414d$ 17 241211 341211 347 $Ashen$ 17 $2414d$ 341211 347 $Ashen$ 18 247 $1643d$ $31634f$ $31634f$ 18 247 $1643d$ 31601 $2161f$ 19 $2476d$ 31601 $216f$ 31601 20 247 31601 $216f$ $346d$ 21 247 31601 $216f$ 31601 21 247 31601 31601 31601 22 247 31601 31601 31601 22 247 31601 31601 31601	14		A
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15-		PERHAT TRAC
$\frac{18}{19} = 21 \frac{12}{12} \frac{1}{10} 1$			- मिन्हे मेहानार
$\frac{16}{14.2} = \frac{1}{21} = \frac{1}{2$	17		Asher
20. 237 -217 (14) 21. 29 29 -1-47 Jucil 22. 20 21101/20104 Jucil 22. 20 21101/20104 Jucil		- A - Je V	1
21. 2) 399 -1-4-1 JUCII Did 22. 20 21101/ July Sycari 22. 20 21101/ July Sycari	19-		Detaioni
22. 20 Incit may Sycar Kithewith	20.		- puty
22. 21 21		2) gab 4-47 Juci	20h
23- 21 vagy sycal	21-		States of the
		st Incit may sycar	<u> </u>

41

नगर पंचाआध्यक्ष नगर पंचायत लालकुआँ जिला-नैनीताल

L

としょ

1.1

is pre

ा लग तम तार्थ

वार्ड मैम्बर

प्रपत्र- 23.2

परियोजना का नाम— मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या—309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी लालकुऑ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्तरीय समिति, लालकुऑ परिक्षेत्र के अर्न्तगत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.063 है0 वन भूमि**) का जिला सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–लालकुऑ) की दिनांक

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी लालकुऑ एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में ग्राननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री मनीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी लालकुऑ, अध्यक्ष।
 श्री ध्रुव सिंह मर्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला, सदस्य।
 श्री राहुल आर्या, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लालकुऑ, सदस्य सिचिव।
 श्री दीपक आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य लाखनमण्डी, सदस्य।
 श्रीमती कमला आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य ईसाईनगर, सदस्य।

5- श्रीमती कमला आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य ईसाईनगर, सदस्य।
6- श्री सुरेश भारती, क्षेत्र पंचायत सदस्य खनवाल कटान, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला— नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुओं के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

LSig1h1(

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव त्तसम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुऑ द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, लालकुऑ परिक्षेत्र के अर्न्तगत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला— नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> ् उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील ! लालकुआ ।

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– लालकुऑ। हत्द्वानी.

प्रतिलिपिः-- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम– मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद– नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति लालकुऑ तथा सम्बन्धित ग्रामसभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।



<u>परियोजना का नाम</u>– मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतू विकास केन्द्र का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति, नैनीताल

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (नैनीताल) की बैठक श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एंव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुओं के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुऑ द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल के अर्न्तगत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एव पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> जिलाधिकासे/अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, नैनीताल। विद्याविकार विद्याविकार

परियोजना का नाम- माठ मुख्य मंत्री जी की दोषणा संख्या-300/2020 शहीन स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों दश्वाहीयों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

Annexure-II Form-II (for projects other than linear projects) Goverment of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital (U.K.)

No. 1684

Dated ... 28-01 -2-22

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.119/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.063 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of District Soldier Welfare and Rehabilitation, Haldwani, Nainital for the Construction of Development Center in Nainital District falls within jurisdiction of Lalkuan Nagar Panchayat, Bangali Colony Ward No- 07(s) in Lalkuan tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 0.063 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the Distict Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23,3 annexure 11,
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ pocesses under (c) the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Bangali Colony Ward No-07(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23,3 and Annexure II,
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required (e) under sation 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha metting have given their consent to it;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where (f) applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

45

Scanned with CamScanner

Signature (Full name and oficial seal of the District Collector) जिलाधिकारी

वेनोताल.

परियोजना का नाम- मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों / शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एव आजीविका संवर्धन हेत विकास केन्द्र का निर्माण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT- Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dheeraj Singh Garbyal, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated .28.01.1.20.2.2..... at time 4.00 m at Nainital in which application claiming rights in 630 Sq. Meter/area measuring 0.063 hectares for the Construction of Development Center. Forest land under FRA, 2006 of the following applicants duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place 28 01 1 2022 Dated Namital

LRy Deputy Commissioner cum chairman **District Level Committee** खिलाचिका ये चीताल.